न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : राजेश कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 311 / 2023

जी.सी.एम.एस.संख्या :— 2023 / 508

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
खेराजराम पुत्र लाखाराम जाति जाट निवासी धड़ोई नाड़ी तहसील—पचपदरा व जिला बालोतरा		1.करनाराम रियाग पुत्र लाखाराम 2.कुमार शेर पुत्र लाखाराम 3.धनश्याम पुत्र मोटाराम 4.तेजाराम पुत्र मोटाराम 5.पारूदेवी पत्नी महेन्द्रप्रकाश पुत्रवधू मोटाराम जाति जाट निवासी धड़ोई नाड़ी तहसील पचपदरा 6.धर्माराम पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी सिणधरी चौराया बाड़मेर 7.हेमाराम पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी सिणधरी चौराया बाड़मेर 8.चुतराराम पुत्र जैसाराम हाल निवासी पाल बालाजी मंदिर के पास जोधपुर 9.मेहाराम पुत्र गोमाराम जाति जाट निवासी मूलजी की ढाणी 10.मगाराम पुत्र गोमाराम जाति जाट निवासी कोसरिया तहसील बायतु 11.पूरादेवी पत्नी भलाराम जाति जाट निवासी लबदी निदान के सामने कंवर नगर कुड़ी भगतासनी जोधपुर 12.किशन पुत्र भलाराम निवासी लबदी निदान के सामने कंवर नगर कुड़ी भगतासनी जोधपुर 13.[illegible] सरकार जरिए तह[illegible]र प[illegible]रा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:53:43 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

उपस्थिति—

1. श्री अन्नाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री पुनमाराम चौधरी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 10
3. श्री सवाईराम सियाग विप्रार्थी 1 से 4 व 6 से 8 एवं 11,12
4. विप्रार्थी संख्या 05 व 09 एकपक्षीय

:निर्णय:

दिनांक— 11.7.2024

01. प्रकरण का संक्षिप्त में घड़ोई नाड़ी तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 635/70 क्षेत्रफल 2.1165 हैक्टेयर मौजा घड़ोई नाड़ी तहसील पचपदरा में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थी के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 634/70,633/70,536/533,535/53 एवं ग्राम मूलजी की ढाणी तहसील पचपदरा की खसरास संख्या 138/52 भूमि में से परिशिष्ट अ से ब अनुसार 4 गटटा चौड़ा रास्ता कायम करने हेतु प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया हैं तथा संलग्न नक्शानुसार रास्ता नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थी के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया हैं।

02. प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के रजिस्ट्रर्ड नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री सवाईराम सियाग द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 से 4 व 6 से 8 एवं 11,12 की ओर से वकालतनामा पेश किया तथा प्रार्थी के आवेदन—पत्र तथ्यों को स्वीकार करते हुए इकबाली जवाब पेश कर आवेदन—पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। विप्रार्थी संख्या 05 व 09 की ओर से प्रार्थी के आवेदन—पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जवाब पेश किया गया। विप्रार्थी संख्या 10 को जवाब पेश करने का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किए जाने पर जवाब बन्द किया गया। विप्रार्थी संख्या 13 तहसीलदार पचपदरा ने प्रकरण में जवाब पेश नहीं कर निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की,जो शामिल मिसल है विप्रार्थी संख्या 05 व 09 निर्धारित तारीख पेशी पर उपस्थित नहीं होने के कारण एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

03. तत्पश्चात् प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना—पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के आवेदन—पत्र के संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट [illegible] मार्क ए से बी तक यानि विप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 634/70,633/70,536/[illegible]535/53 ग्राम घड़ोई नाड़ी एवं ग्राम मूलजी की ढाणी तह[illegible] संख्या 138/52 हैक्टेयर में से प्रार्थी के खातेदारी खेत संख्या 635/70 क्षेत्रफल 2[illegible]5 हैक्टेयर तक बंरग लाल के चौड़ा रास्ता 04 गटटा भूमि तक आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित किया जावें। उक्त रास्ता नजदीक सरल एवं सुगम रास्ता हैं,प्रार्थी के पास आवागमन हेतु अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:53:43 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

कोई वैकल्पिक रास्ता विधमान नहीं है। अन्तः में निवेदन किया कि तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता स्वीकृत किया जाता है,तो प्रार्थी को आपति नहीं है। प्रार्थी प्रस्तावित रास्ता की स्वीकृति के बदले क्षतिपूर्ति राशि जमा करवानें के लिए सहमत है।

04. विप्रार्थी संख्या 01 से 4 व 6 से 8 एवं 11 से 12 अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाता है तो विप्रार्थी को आपति नहीं है।

05. विप्रार्थी संख्या 10 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से गलत तथ्यो के आधार पर आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया है,जो चलने योग्य नहीं है,क्योंकि प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थी द्वारा माफिक नक्शा परिशिष्ट अ के अनुसार जो रास्ता चाहा गया है,उसकी दूरी प्रार्थी के खेत से करीब 730 मीटर की दूरी है,जबकि प्रार्थी के लिए उसके खेत में आने जाने के लिए नजदीक में दो रास्ते विघमान है,जिसमें एक रास्ता जो कि खसरा संख्या 631/70 व 536/53 के सेढा से होकर सिक्स लाईन (अमृतसर जामनगर एक्स प्रसवे संख्या 754) अण्डर पास से होकर आगे खसरा संख्या 573/53 व राज्य सरकार की भूमि खसरा संख्या 71/335 में से होते हुए बालोतरा उमरलाई रोड़ से मिलान होता है,जो वर्तमान में चालू है तथा इस रास्ते की प्रार्थी के खेत से करीब 150 मीटर की दूरी मात्र की है तथा उक्त रास्ता बहुत पुराना है। इसके अलावा एक ओर सरकारी कटान रास्ता प्रार्थी के खेत से करीब 300 मीटर की दूरी पर चल रहा है,जो भी प्रार्थी के खेत के नजदीक व सुगम रास्ता है। इन दोनो वैकल्पिक रास्तो मे से प्रार्थी को रास्ता प्राप्त कर सकता है। लेकिन प्रार्थी द्वारा मनगढत झूठे तथ्यो के आधार पर विप्रार्थी की खातेदारी संख्या 138/52 में से रास्ता चाहा गया है,जो कि रास्ता स्वीकृत योग्य नहीं है,क्योकि उक्त खसरान भूमि मे पूर्व मे भूमि अवाप्ति हो चुकी है तथा भूमि अवाप्त होने के कारण ही विप्रार्थी की खातेदारी भूमि के टुकड़े हुए है। प्रार्थी केवलमात्र विप्रार्थी को परेशान करने की नियत से ही हस्तगत प्रकरण पेश किया गया है। प्रार्थीगण का आवेदन चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जावे।

06. हमनें उभयपक्ष विद्वान अधिवक्तओं कीं बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजो एवं मौका रिपोर्ट का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु खसरा संख्या 634/70,633/70,536/53,535/53 व खसरा संख्या 138/52 मे से 04 [illegible] चौड़ाई का रास्ता [illegible] करने का निवेदन किया है। जवाब में विप्रार्थी संख्या 01 से 04 [illegible] से [illegible]वं 11 से 12 ने प्रार्थी के आवेदन–पत्र के तथ्यों को स्वीकार करते हुए [illegible] सहमति दी गई है। विप्रार्थी संख्या 05 व 09,10 ने प्रार्थीगण के आवेदन–पत्र के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को परेशान करने की नियत से हस्तगत प्रकरण पेश किया है,जबकि वैकल्पिक रास्ता की सुविधा उपलब्ध है,उक्त वैकल्पिक रास्ता मौके पर चालू होने के कारण प्रार्थी द्वारा चाहा गया वांछित अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:53:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

होने के कारण प्रार्थी का आवेदन खारिज किया जावें। विप्रार्थी संख्या 13 तहसीलदार पचपदरा ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु रिपोर्ट उपलब्ध करवाए गए,जिसके अनुसार :–

i. ग्राम घड़ोई नाड़ी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 635/70 क्षेत्रफल 2.1165 हैक्टयर किस्म बा.अव्वल भूमि में आवागमन हेतु प्रस्तावित रास्ता खसरा संख्या 138/52,535/53,648/536,633/70 व 634/70 भूमि प्रस्तावित की गई हैं तथा प्रस्तावित रास्ता जो कि निकटतम एवं उपयुक्त है। प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई विकल्प रास्ता नहीं होता बताया।

07. हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हम धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझतें है,जिसके अनुसारः–

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में,पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा,आवेदक को,अभिधारी,जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है,दर्शाया जाये,भूमि में से होकर,और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए,उस अभिधारी को,जो उस भूमि को धारित करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये,ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये,अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है,कि प्रार्थीग द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

7.चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 635/70 में आवागमन हेंतु राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं,अतः [illegible] धारा 251–क प्रावधानानुसार प्रार्थी की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता [illegible] है तथा आवागमन हेतु वैकल्पिक साधन के अभाव भी प्रार्थी द्वारा सिद्ध किया गया हैं। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट है किया गया है कि प्रार्थी की ओर से चाहे गए रास्ता में से विप्रार्थी संख्या 1 से 4 व 6 से 8 व 11,12 की ओर से रास्ता देने हेतु सहमति प्रदान की गई है। केवलमात्र विप्रार्थी संख्या 05 व 9,10 की ओर से मौखिक कथन कि प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता की

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:53:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

सुविधा होने के कारण प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत नहीं किया जावे। ऐसी सूरत में प्रार्थी यह भली भांति साबित करने में सफल रहा है कि उसे रास्ता की आत्यंतिक आवश्यकता है तथा वैकल्पिक साधन का अभाव है तथा विप्रार्थी पक्ष यह कहीं साबित नहीं कर पाया है कि प्रस्तावित रास्ता क्यों नहीं स्वीकृत किया जावें। उन द्वारा केवलमात्र मौखिक कथन कि प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ता की सुविधा होने के कारण प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत नहीं किया जावे। उक्त तर्क मानने योग्य नहीं है। इसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो का होना आवश्यक होता है। जबकि प्रस्तावित रास्ता का नायब तहसीलदार पचपदरा से मौका मुआयना करवाया जाकर रिपोर्ट तलब की गई थी। यदि विप्रार्थी के तर्क में कोई सत्यता होती तो मौका रिपोर्ट में उसका उल्लेख होता,लेकिन नायब तहसीलदार पचपदरा द्वारा अपनी मौका जांच रिपोर्ट में ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की गई। जिससे यह कहीं स्पष्ट हो सका कि प्रस्तावित रास्ता के अलावा भी प्रार्थी के आवागमन के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता हो। जबकि नायब तहसीलदार पचपदरा ने अपनी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट टिप्पणी की गई है कि प्रस्तावित रास्ता ही एकमात्र विकल्प रास्ता है इसके अलावा अन्य कोई निकटतम एवं उपयुक्त रास्ता नहीं है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि प्रार्थी का आवेदन–पत्र स्वीकार योग्य है।

8.उक्त वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में नायब तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तावित रास्ता बरंग पीला कुल क्षेत्रफल 0.6017 हैक्टयर भूमि सार्वजनिक रास्ता हेतु डी.एल.सी. दर प्रति बीघा के अनुसार प्रतिकर दुगुनी देय राशि–2,87,611/–रूपये बनती है,जिसको प्रार्थी राजकोष के निर्धारित शीर्ष में जमा करवाने हेतु सहमत है,अतः हम प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र वांछित अनुतोष अनुरूप स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

आदेश :–

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है,तथा प्रार्थी के खातेदारी भूमि ग्राम धड़ोई नाड़ी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 635/70 में पहुंच हेतु खसरा संख्या 138/52 क्षेत्रफल 6.3455 हैक्टेयर में से 0.1120 हैक्टयर ग्राम मूलजी की ढाणी व ग्राम घड़ोई नाड़ी तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 535/53 क्षेत्रफल 15.8717 हैक्टयर में से 0.2160 हैक्टयर,खसरा संख्या 648/536 क्षेत्रफल 0.1861 मे से 0.1861 हैक्टयर,खसरा संख्या 633/70 क्षेत्रफल 2.1165 हैक्टयर मे से 0.0438 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 634/70 क्षेत्रफल 2.1165 हैक्टयर में से 0.0438 हैक्टयर भूमि सार्वजनिक [illegible] प में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किए है कि उक्त वर्णित भूमि का प्रतिकर 2,87,611/–(अक्षरे दो लाख सत्तासी हजार छह सौ ग्यारह) रूपयें की राशि विप्रार्थीगण को उनके हिस्से अनुसार आनुपातिक रूप से भुगतान किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:53:43 IST
Reason: SelfAttested

जाकर प्रार्थी को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। अप्रार्थी प्रतिकर राशि नहीं लिए जाने की दशा में निर्धारित मयाद बाद राजकोष में नियमानुसार प्रतिकर राशि जमा करवाई जानी सुनिश्चित करावें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 11·7·2024 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 17:53:43 IST
Reason: SelfAttested